BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 43 of 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DATED 02.09.2025 ANNEXED HEREWITH ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 06.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 15.09.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 43 of 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA …………**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..**RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, VINAY KUMAR SINGH aged about 38 years S/o KUNWAR PAL SINGH presently posted as SHO KANKERKHERA MEERUT, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

NOTARY

NOTARY

NOTARY

NOTARY
NAROTTEM KUMAR GARG
Advocate
Head Quarter
Meerut
Regd. No.
01/09/89
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. Background of the Matter

3. That in the present matter, the applicant has alleged encroachment on the land of the water body and that Krishna World Colony at Meerut is being unauthorizedly constructed on a public water drain at gata no. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh and irrigation canal gata no. 47, 48 and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh. That the plea of the applicant is that public water drain and irrigation canal have been encroached upon while developing the residential colony.

II. Actions taken for demolition

4. That it is respectfully submitted that the Deponent has written a letter dt. 02.09.2025 to the Superintendent of Police, Meerut. That vide the said letter it has been intimated regarding the deployment of additional police force to ensure smooth conduct of the demolition programme of one city culvert each at Rajwaha Chapsalawa (Village Shobhapur) and Nala Pathanpura (Village Murlipur Gulab), falling within the jurisdiction of Police Station Kankarkheda. The said letter further states that the Assistant

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Meerut

NOTARY

Engineer-IV, Meerut Division, Ganga Nagar, Meerut, had requested for police force to maintain law and order during the demolition scheduled on 04.09.2025 at the aforesaid sites. That for the peaceful execution of the said programme, the following additional police force was sought:

- Inspectors – 02
- Sub-Inspectors – 15
- Male Head Constables/Constables – 10
- Female Head Constables/Constables – 25
- Fire Tender – 01

A copy of the letter dated 02.09.2025 is annexed herewith **ANNEXURE R-1**.

5. That further, the Executive Engineer, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut has written a letter dt. 06.09.2025 to the Additional District Magistrate (Administration), Meerut. That vide the said letter it has been informed that on the scheduled date of demolition i.e. 04.09.2025, various officials, under the leadership of the Tehsildar, Naib Tehsildar, Sadar Tehsil, District Meerut, and the Circle Officer, Daurala, District Meerut, along with police force, reached the site for demolition of the illegal culverts. It is further submitted that when the demolition work was initiated through Breaker/JCB machine, the private colonizer, along with local persons, strongly opposed the operation and presented legal documents

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) NAROTTAM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Meerut Regd. No 01/09/89

NOTARY

relating to the culverts/the site before the Tehsildar, Sadar, and the departmental team. That upon examining the documents, the Tehsildar, Sadar, suggested that demolition should only be carried out after proper verification of the said documents on a subsequent date. Consequently, the demolition could not be completed. That the said letter was copied to the deponent.

A Copy of the letter dt. 06.09.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

6. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

7. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY

NOTARY ★ NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Meerut Regd. No. 01/09/88 ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Meerut on this 15/9/25 day of September, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 7 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY NOTARY

NOTARY ★ NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Meerut Regd. No. 01/09/89 ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

DEPONENT

SRN. 01. of 15.09.2025 H

Certified that Shri Vinay Kumar Singh S/o Shri Kunwar Pal Singh
Resident of Sho Kankar Khadwa Distt. Meerut
Identified by Shri Nishant Kumar Adv.
Swore the Contents of the affidavit on oath before NEROTTEM KUMAR GARG Advocate Meerut Fee Rs. 15/- per deponent Attested.

M.K.G. NOTARY 15/9/2025

निशान्त कुमार गर्ग एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नं० 4989/2009

ANNEXURE R-1

रिपोर्ट थाना – कंकरखेडा जनपद – मेरठ

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय
जनपद – मेरठ

विषयः- थाना कंकरखेडा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक –04.09.25 को राजवाहा चपसलावा (ग्राम शोभापुर) एंव नाला पठानपुरा (ग्राम मुरलीपुर गुलाब)पर एक-एक नगर पुलिया के धवस्तीकरण के कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक -

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता – चतुर्थ मेरठ खण्ड , गंगा नगर मेरठ के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जोकि थाना कंकरखेडा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक –04.09.25 को राजवाहा चपसलावा (ग्राम शोभापुर) एंव नाला पठानपुरा (ग्राम मुरलीपुर गुलाब)पर एक-एक नगर पुलिया के धवस्तीकरण हेतु शान्ति व्यवस्था के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक है । उक्त कार्यक्रम को शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने के लिये निम्नांकित अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है –

निरीक्षक	उ0नि0	म0उ0नि0	है0का0/ का0	महिला है0/का0	फायर टैण्डर
02	15	10	25	10	01

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पुलिस बल थाना हाजा को दिनांक –04.09.2025 को 09.00 बजे तक आवंटित करने की कृपा करें , ताकि उक्त कार्यक्रम शान्ति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके ।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है ।

(विनय कुमार सिंह)
प्रभारी निरीक्षक
थाना – कंकरखेडा, मेरठ

ANNEXURE R-2

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

पत्रांकः /मेखगंनमे/एन0जी0टी0

दिनांकः /09/2025

विषयः ओ0ए0 संख्या 43/2025 श्री दुष्यंत रोहटा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 राज्य में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.05.2025 को निर्गत आदेशों की अनुपालना करने के सवन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 144/सात–डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 12.08.2025 एवं पत्रांक 191/सात–डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 26.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रकरण में राजवाहा चपसलावा व पठानपुरा नाले पर अवैध पुलिया/अतिक्रमण हटवाते हुए वांछित कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु सूचित किया गया था। उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के कार्यक्षेत्र में राजवाहा चपसलावा एवं पठानपुरा नाले पर प्राइवेट कोलोनाईजर द्वारा निर्माण की गयी अवैध पुलिया को हटाकर विभागीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

आवेदक श्री दुष्यंत रोहटा द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–43/2025 में प्राइवेट कोलोनाईजर द्वारा कालोनी विकसित किये जाने के दौरान ग्राम मुरलीपुर गुलाब, तहसील व जिला मेरठ से होकर प्रवाहित होने वाले पठानपुरा नाले के गाटा संख्या 346 (कुल क्षेत्रफल 0.1260 है0) एवं ग्राम शोभापुर तहसील व जिला मेरठ से होकर प्रवाहित होने वाले राजवाहा चपसलावा के गाटा संख्या 47, 48 एवं 49 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अतिक्रमण एवं पठानपुरा नाले एवं राजवाहा चपसलावा पर पुलिया का अवैध रूप से निर्माण किये जाने से सम्बन्धित वाद दायर किया गया है।

उक्त प्रकरण में जांचोपरान्त पाया गया कि पठानपुरा नाले से प्रभावित गाटा सख्या–346 एवं राजवाहा चप सलावा के गाटा संख्या 47, 48 एवं 49 सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन है जिन पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। राजवाहा चप सलावा के किमी0 26.855 पर 6.90 मी0 चौड़ी एवं पठानपुरा नाले के किमी0 3.130 पर 3.70 मी0 चौड़ी अवैध पुलिया का निर्माण होना पाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में प्राईवेट कोलोनाईजर द्वारा निर्मित अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु खण्ड के सहायक अभियन्ता, सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर मय राजस्व स्टाफ के साथ दिनांक 02.09.2024 को आवश्यक उपकरण लेकर मौके पर उपस्थित हुये। जैसे ही उक्त दोनों पुलियों को ध्वस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, अतिक्रमणकर्ता द्वारा अनेक लोगों सहित भारी विरोध किया गया। विभागीय टीम के साथ पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिगत तत्समय ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। तत्पश्चात् उक्त पुलियों के ध्वस्तीकरण के लिए विभागीय टीम को प्रशासनिक सहयोग एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनेकों बार अनुरोध किया गया, परन्तु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। तत्कम में कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या–1545/सात–डी0एल0आर0सी0/2025 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ को प्रशासनिक सहयोग हेतु मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को पर्याप्त पुलिस वल के साथ मौके पर उपस्थित रह कर कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने हेतु नामित किया गया। तदोपरान्त अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के लिए खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित जूनियर इन्जीनियर द्वारा दिनांक 25.08.2025 को उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ से प्रशासनिक सहयोग हेतु एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ से पुलिस वल प्राप्त करने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया। उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ द्वारा विषयक प्रकरण में अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 28.08.2025 की तिथि निर्धारित की गयी। परन्तु कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मेरठ से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने कारण निर्धारित तिथि 28.08.2025 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न की जा सकी। तदोपरान्त उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, मेरठ से दिनांक 01.09.2025 को पुनः सम्पर्क करने पर उनके द्वारा दिनांक 04.09.2025 की तिथि निर्धारित की गयी। निर्धारित तिथि 04.09.2025 को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद मेरठ एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी दौराला, जनपद मेरठ के नेतृत्व में मय पुलिस फोर्स के विभागीय टीम अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण हेतु मौके पर पहुंचे।

क्रमशः......2 पर

जब अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही ब्रेकर/जे0सी0बी0 मशीन के माध्यम से प्रारम्भ की गयी (फोटोग्राफ संलग्न), तब प्राईवेट कौलोनाइजर द्वारा क्षेत्रीय व्यक्तियों के साथ पुलिया तोड़ने की कार्यवाही का भारी विरोध किया गया एवं पुलिया/प्रश्नगत स्थल से सम्बन्धित विधिक अभिलेख तहसीलदार सदर व विभागीय टीम के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्राईवेट कोलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत विधिक अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त तहसीलदार सदर द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही अवैध पुलियों को तोड़ने की कार्यवाही आगामी तिथि में किया जाना समीचीन होगा। जिस कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त के समादर में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, मेरठ से व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त विषयक प्रकरण में नियमानुसार वांछित कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

पत्रांक 4953 /मेखगंनमे/दिनांक 06/09/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
3– जिलाधिकारी, मेरठ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5– उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
6– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाकेट–टी0सी0–3/2 पल्लवपुरम फेस–2, मोदीपुरम, मेरठ।
7– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को उनके पत्रांक 678/सहा0अभि0–4/दिनांक 04.09.2025 के कम में।

06/09/25

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ